न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu223RTA037 Baaluram Vs Gheesulal etc

बालूराम पुत्र पूनाराम पटेल (सीह)
निवासी ग्राम लूणी, तहसील लूणी
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. घीसूलाल पुत्र धनराज घांची
   निवासी ग्राम लूणी, तहसील लूणी
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लूणी
   जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 213 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 01 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 122/2015 घीसूलाल बनाम बालूराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बी.आर. चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 14.01.2020

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 122/2015 घीसालाल बनाम बालूराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01 जून 2017 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 मार्च 2019 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. घीसूलाल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 412/3 रकबा 13 बीघा बारानी सोयम वाके मौजा लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के संबंध में पेश कर जाहिर किया कि प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा जबरन वादी-रेस्पो. की खातेदारी की कृषि भूमि पर अतिकमण कर लिया गया है, अतः अतिकमण हटाया जाकर वादी-रेस्पो. को उसकी खातेदारी भूमि का कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 29 दिसम्बर 2015 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलब हेतु सम्मन जारी किये गये। दिनांक 28 जनवरी 2016 को प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 27 अक्तूबर 2016 तक प्रतिवादी संख्या एक-अपीलाण्ट की ओर से कोई जबाब-दावा पेश नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या एक-अपीलाण्ट के जबाब का अवसर बंद किया गया और मिसल वास्ते साक्ष्य मुकर्रर की गयी और दिनांक 01 जून 2017 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट मूल रूप से ग्राम लूणी का मूल निवासी है, उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्य भी वादग्रस्त आराजी एवं उसके आसपास ही निवास कर रहे है, वादग्रस्त आराजी का बापी पट्टा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट के कुटुम्ब के सदस्य के नाम जारी हुआ था, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय भी अपीलाण्ट व उसके कुटुम्ब के लोगों का ही कब्जा काश्त बतौर खातेदार इस भूमि पर था, मगर मानवीय भूल से यह भूमि सिवाय चक या खालसा दर्ज कर दी गयी। मारवाड स्टेट ऑफ जोधपुर द्वारा किये गये भूमि के प्रथम सेटलमेंण्ट संवत 1999 में जब बापी पट्टे जारी किये गये था, तो परिवार के पूर्वज रामा पुत्र खीमा (सांवरीया) के नाम जारी किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय अपीलाण्ट के कुटुम्ब-परिवारजनों का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हो जाने व सिवायचक या खालसा दर्ज हो जाने का ज्ञान नहीं था, इस कारण किसी प्रकार की कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि वक्त सेण्टलमेण्ट बसावट वाले रकबे के अतिरिक्त उक्त आराजी गोचर दर्ज की गयी और चूकि अपीलाण्ट का कब्जा बसावट वाले रकबे में था, इस कारण उसके खिलाफ कभी अतिकमण की कार्यवाही भी नहीं हुई। रेस्पो. द्वारा बाले-बाले कार्यवाही की जाकर वादग्रस्त भूमि जब अपने नाम आवण्टित करवा ली गयी, तब राजस्व रिकार्ड में अनियमितता बाबत अपीलाण्ट को भान हुआ। अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का जबाबदावा का अवसर बंद करने में गम्भीर विधिक भूल की गयी है। जबाबदावा पेश करने बाबत कब-कब अवसर मांगे गये, कब-कब अवसर दिये गये, कब-कब अंतिम अवसर दिया गया, कब-कब कॉस्ट पर अवसर दिया गया आदि बाबत कुछ भी अपीलाधीन आदेश में वर्णित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में 06 फरवरी 2017 को बहस सुनी गयी, और 15 फरवरी 2017 वास्ते निर्णय मिसल 15 फरवरी 2017 मुकर्रर की गयी। 15 फरवरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017 से 8मार्च 2017, 08 मार्च 2017 से 28 अप्रेल 2017 एवं 28 अप्रेल 2017 से 08 मई 2017 की तारीख-पेशीयॉ तब्दील की जाती रही, मगर कोई निर्णय नहीं लिखाया गया। फिर सीधे ही 01 जून 2017 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। मियाद के संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट को जानकारी तब हुई जब बेदखली इजराय कार्यवाही हेतु राजस्व नुमाईंदे मौके पर आये, इससे पहले अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट को न्यायालय का मुख्यालय बदल जाने से पूर्व नियुक्त अधिवक्ता द्वारा मना करने एवं नये अधिवक्ता की नियुक्ति की जानकारी अनपढ होने के कारण नहीं होपायी। अपीलाधीन आदेश न्यायालय मुख्यालय पर पारित नहीं किया जाकर कैम्प कोर्ट डोली में किया गया, जिसकी कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी गयी, इस कारण भी समुचित समय में अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत 11 मार्च 2019 को प्रथम बार अपीलाण्ट की जानकारी में आया और तब अन्य अधिवक्ता से हस्तगत प्रकरण का पता करवाया तथा नकलें आदि प्राप्त कर आलौच्य अपील पेश की है।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियाद-बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 28 जनवरी 2016 को अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। इसके बाद 27 अक्तूबर 2016 तक जबाबदावा पेश नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके जबाब का अवसर बंद किया गया है। अब अपील स्तर पर अपीलाण्ट की ओर से यह कहा जाना कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब का अवसर बंद करने से पूर्व कब कब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब पेश करने हेतु और अतिरिक्त अवसर दिये जाने की मांग की गयी, इसका विवरण पेश नहीं किया गया, कतई उचित एवं तर्कसंगत नहीं है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील पेश करने में हुए अप्रत्याशित विलम्ब के संबंध में भी एतराज उठाया और कथन किया कि दावा इकतरफा निर्णित हो और प्रस्तुत शपथपत्रों का कोई खण्डन नहीं हो तो उसको हूबहू माना जाकर स्वीकार किया जाना चाहिये। आलौच्य अपील में गुणावगुण पर अपीलाण्ट की ओर से कोई ऐसा सारवान तथ्य या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि अपीलाधीन आदेश में कोई मूलभूत संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता हो। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं मियादबाधित होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील का निस्तारण मियाद जैसे तकनिकी बिन्दु की बजाय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 28 जनवरी 2016 को अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। इसके बाद 27 अक्तूबर 2016 तक जबाबदावा पेश नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके जबाब का अवसर बंद किया गया है। अतः इस

संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा उठाये गये एतराज स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपील स्तर पर जो दस्तावेजात (छायाप्रंतियॉ) अपीलाण्ट्स की ओर से पेश की गयी है, उनका अवलोकन करने पर पाया जाता है कि **पट्टा बापी गांव चवों परगना जोधपुर रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड खसरा संख्या 412 से संबंधित पेश किया गया है जिसमें खसरा संख्या 377 व 412 रामा बेटो खुमा रो जात रो पीटल बासी गांवरो दर्ज है, मगर उक्त रामा से अपीलाण्ट का क्या और किस प्रकार का रिश्ता है, कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लूणी में स्थित है, जबकि उक्त बापी पट्टा ग्राम चवों परगना जोधपुर से संबंधित है।** इस प्रकार इस दस्तावेज से अपीलाण्ट को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार जो छायाचित्र (फोटोग्राफ्स) पेश किये गये है, उनके आधार पर किसी स्थानविशेष की पहिचान नहीं होती है, अतः उनके आधार पर भी एक रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स सारहीन पायी ज़ाती है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 14/11/2020.

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर